दिनांक 20.04.2015 (तृतीय सोमवार) को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति, प्रमादी मिलरों के पास बकाया राशि आदि से विडियो कॉनफ्रेंसिंग की कार्यवाही :–

FAX
E Mail

उपस्थिति :–

1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. बिहार राज्य भंडार निगम के प्रतिनिधि।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को 2014–15 में अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्ति की समीक्षा की गई। समस्तीपुर द्वारा 95 प्रतिशत सी0एम0आर0 प्राप्त कर लिया गया है। कतिपय अन्य जिलों द्वारा भी अच्छी प्रतिशत में सी0एम0आर0 प्राप्त किया गया है। शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, नवादा में सी0एम0आर0 प्राप्ति का प्रतिशत अंसतोषजनक पाया गया। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि 100 प्रतिशत सी0एम0आर0 की प्राप्ति हर हालत में सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी प्रकार की कोताही पर कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रमादी मिलरों के संबंध में मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि मिलरों के पास 08 करोड़ से अधिक राशि बकाया रखने वाले मिलरों पर आर्थिक अपराध अनुसंधान में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है एवं 08 करोड़ से कम राशि बकाया वाले मिलरों पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया जाना है। इसके अतिरिक्त निलाम पत्र वादों में निर्गत BW/DW भी सख्ती से एक्जीक्यूट करावें। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रमादी मिलरों के पास बकाया राशि के संबंध में एक पी0आई0एल0 (जनहित याचिका) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर हुई है। राज्य खाद्य निगम द्वारा जिन कर्मचारियों का नाम भेजा गया है उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर जिला पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर संबंधित विभाग के सचिव को शीघ्र भेजे। सभी जिला प्रबंधक प्रपत्र 'क' तैयार कर जिला पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा लेगें। इस हेतु एक टेम्प्लेट भी भेजा गया है।

विडियो कान्फ्रेसिंग में यह बात भी सामने आई कि राशि जमा कर दिए जाने पर प्रपत्र 'क' गठित होगा या नही। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि राशि जमा किए जाने के बाद भी विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित कर भेजा जाय, जिसमें तत्संबंधी उल्लेख भी रहें। विभागीय कार्यवाही के संचालन में अंतिम निर्णय होगा।

मुख्य सचिव द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया कि चालू माह का खाद्यान्न वितरण करें। साथ ही खाद्यान्न का वितरण वास्तविक रूप से जिले में हो, इसके लिए सजग रहें एवं आवश्यक जॉच आदि कराते रहें। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम अभी 55 प्रतिशत वाहनों में ही उपयोग होने का प्रतिवेदन है इसे बढ़ाया जाय। उन्होनें निदेशित किया कि जिस माह का आवंटन है उक्त माह का उसी माह में वितरण होगा। इसे कड़ाई से पालन किया जाय।

जहानाबाद, नालंदा एवं अरवल जिले से पूरा आवंटन नही मिलने की बात बतायी गयी, जिसपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि इस विषय को अच्छी तरह से समझकर विभाग संबंधित जिला को स्पष्ट निदेश दें ताकि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या न हो।

राशन किरासन कूपन मुद्रण की समीक्षा के क्रम में रोहतास, मुजफफरपुर, समस्तीपुर एवं किशनगंज जिलों से कूपन मुद्रण से संबंधी प्रतिवेदन तुरंत भेज देने का निदेश दिया गया।

नवादा जिला में सी0एम0आर0 के दो सहायक गोदाम प्रबंधक, श्री राहुल कुमार एवं अतुल कुमार अनुपस्थित रहने के संबंध में बताया गया। जिस पर मुख्य सचिव ने प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया।

सधन्यवाद विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/4

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक –प्र04 / ख0वि0अधि0–04 / 2014 3569 खाद्य / पटना / दिनांक 05.05.15

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना / महाप्रबंधक (क्षेत्रीय), भारतीय खाद्य निगम, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/2015

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।